न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी:– श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 52/2020

बउनवान:–

हरिबल्लभ उर्फ राधाबल्लभ पुत्र मदनलाल नायक निवासी ईश्वरपुरा तह0 मांगरोल जिला बारां

....वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0

वकील वादी : श्री भंवर सिंह गौड, श्री लवकुल गौड

दायरा दिनांक: 24.07.2020 निर्णय दिनांक : 09.02.2021

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी के शामलाती खाते की आराजी खसरा नं0 436 रकबा 2.35 है0 वाके ग्राम झाडवां तहसील मांगरोल व खसरा नं0 80 रकबा 0.94 है0 वाके ग्राम नन्दगांवडी तह0 मांगरोल में स्थित है। वादी के अन्य दस्तावेजो राशन कार्ड आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक डायरी में वादी का नाम हरिबल्लभ पुत्र मदनलाल दर्ज है। तथा इस प्रकार वादी को राधाबल्लभ व हरिबल्लभ के नाम से जाना जाता है। वादी उक्त खाता आराजी में अपना नाम राधाबल्लभ उर्फ हरिबल्लभ पुत्र मदनलाल दर्ज करवाना चाहता है। वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में राधाबल्लभ पुत्र मदनलाल दर्ज होने से तथा अन्य सरकारी दस्तावेज में वादी का नाम हरिबल्लभ दर्ज होने से वादी सरकारी सहायताओ का लाभ प्राप्त नही कर पा रहा है। इसलिए वादी की खाता आराजी में वादी का नाम राधाबल्लभ के स्थान पर राधाबल्लभ उर्फ हरिबल्लभ पुत्र मदनलाल दर्ज करवाने का कानूनी अधिकारी है। अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नं0 436 रकबा 2.35 है0 वाके ग्राम झाडवां तहसील मांगरोल व खसरा नं0 80 रकबा 0.94 है0 वाके ग्राम नन्दगांवडी में वादी का नाम राधाबल्लभ पुत्र मदनलाल के स्थान पर राधाबल्लभ उर्फ हरिबल्लभ पुत्र मदनलाल दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.03.22 12:21:42 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 24.07.2020 को रजिस्टर किया गया अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार भी है को रिपोर्ट हेतु तबल किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) ने अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2020/4548 दिनांक 21.09.2020 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ग्राम झाडवा के खसरा नं0 436 रकबा 2.35 है0 भूमि पर राधाबल्लभ पुत्र मदनलाल नायक हि0 1/6 दर्ज है जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य राशनकार्ड, आधारकार्ड,

में हरिबल्लभ पुत्र मदनलाल दर्ज है। राधाबल्लभ पुत्र मदनलाल एवं हरिबल्लभ पुत्र मदनलाल एक ही व्यक्ति के दो पृथक–पृथक नाम है अतः राधाबल्लभ उर्फ हरिबल्लभ पुत्र मदनलाल दर्ज किया जाना उचित होगा।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। वकील वादी की दिनांक 09.02.2021 को एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यों का कथन किया जिनका उनके द्वारा अपने वाद पत्र में अंकन किया गया है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि से भी वादी का नाम हरिबल्लभ पुत्र मदनलाल जाहिर होता है। दस्तावेजात के पक्ष में गवाह स्वयं व छीतरलाल पुत्र मदनलाल निवासी बरूनी तहसील किशनगंज जिला बारां के बयान करवाये गयें। अतः तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात व दिनांक 09.02.2021 को अधिवक्ता वादी की सुनी गयी बहस के आधार पर आराजी खसरा नं0 436 रकबा 2.35 है0 वाके ग्राम झाडवां तहसील मांगरोल व खसरा नं0 8[illegible] रकबा 0.94 है0 वाके ग्राम नन्दगांवडीं की राजस्व जमाबंदी में दर्ज राधाबल्लभ पुत्र मदनलाल का इन्द्राज खारिज किया जाकर उसके स्थान पर राधाबल्लभ उर्फ हरिबल्लभ पुत्र मदनलाल जाति नायक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार मांगरोल को राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2021 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.03.22 12:21:42 IST
Reason: SelfAttested